न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

विविध प्र0क0 671–तीन/2014 आवेदन अन्तर्गत धारा 11/12 न्यायालय मानहानि अधिनियम प्र0कं0 854–पीबीआर/2004 में पारित आदेश दिनांक 22–7–04 की अवमानना।

पवन कुमार जैन पुत्र गणेशी लाल जैन
निवासी महल कॉलोनी शिवपुरी

---- आवेदक

विरूद्ध

आर0के0 पाण्डे तहसीलदार शिवपुरी

---- अनावेदक

– – –

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक– आवेदक

– – –

:: आदेश पारित ::

– – –

(आज दिनांक 9 नवम्बर 2015 को पारित)

– – –

यह विविध आवेदन अन्तर्गत धारा 11/12 न्यायालय मानहानि अधिनियम प्र0कं0 854–पीबीआर/2004 में पारित आदेश दिनांक 22–7–04 के अवमानना के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि तहसीलदार ने व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर दिनांक 24–10–13 के सर्वे नम्बर 337, 346 एवं 347 का कोई भी विकय पत्र पंजीयन स्वीकार नहीं करने हेतु पत्र उपपंजीयक शिवपुरी की ओर भेजा। यह भी तर्क किया कि पूर्व में इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 854–पीबीआर/2004 में पारित आदेश दिनांक 22–7–2004 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के कॉलम नं. 12 से शासन के स्वत्व का विवाद यथास्थिति रखे जाने बावत विकय से वर्जित टीप विलोपित करने के आदेश

दिये थे, परन्तु तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश को न मानकर अवमानना की है। अतः संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर पत्र दिनांक 24–10–2013 निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों की फोटोप्रति का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा तहसीलदार शिवपुरी के पत्र कमांक 24–10–2013 के इस न्यायालय में अवमानना संबंधी प्रकरण दिनांक 26–2–2014 को प्रस्तुत किया है जो प्रथमदृष्टया ही अवधि बाह्य है। आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के भी प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक ने तहसीलदार शिवपुरी के पत्र दिनांक 24–10–2013 जिसके द्वारा विकय पत्र को रोकने के निर्देश देने का प्रश्न है आवेदक अपने तर्क के संबंध में कोई ठोस आधार अथवा दस्तावेज पेश कर यह सिद्ध नहीं कर सके कि तहसीलदार आवेदक से किस प्रकार व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित है तथा इस न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी तहसीलदार को कब दी गई थी। जहां तक तहसीलदार के पत्र दिनांक 24–10–2013 का प्रश्न है तहसीलदार शिवपुरी ने उपपंजीयक को प्रश्नाधीन सर्वे कमांकों के संबंध में विभिन्न न्यायालीन वाद लंबित होने एवं शिकायत प्राप्त होने से उपरोक्त सर्वे नम्बरों का कोई भी विकय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत होता है तो उसे तब तक स्वीकार नहीं किया जाये जब तक कि जांच उपरांत यह प्रमाणित न हो जो कि इसमें शासन को कोई हित नहीं है और इसमें किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लघंन नहीं होता है। इसमें इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 22–7–2004 की अवमानना प्रकट नहीं होती है। अतः यह विविध आवेदन समयावधि बाह्य एवं आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर